प्रेषक,

**दीपक त्रिवेदी,**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त ज़िलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2015**

**विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विष्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्वता है। वर्तमान में 26 शासकीय सेवायें ई-डिलीवरी के माध्यम से प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही है। तत्क्रम में निर्णय लिया गया है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की चयनित सेवाओं को आई.टी.एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित कर लिया जाये ताकि 26 शासकीय सेवाओं की तरह उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाओं को भी जन सामान्य को जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की निम्नवत् सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

| ***S.No.*** | ***Services*** |
|---|---|
| 1 | Application for Drip/Sprinkler irrigation |
| 2 | Application for establishment of new fruit orchards |
| 3 | Application for Green House/ Shade Net Erection. |
| 4 | Application for establishment of Nursery/Cold Storage/Pack House/Seed Infrastructure and Vegetable Seed Production. |
| 5 | Application for Medicinals Plant Cultivation |
| 6 | Establishment of vermi compost unit. |

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवाओं को जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने पर विभाग सैद्धान्तिक रूप से सहमत है।

4. वर्तमान में जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये निम्नानुसार यूज़र चार्ज लिया जा रहा है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् है:-

| | | **यूजर चार्ज का अंश (रू.)** | | | | **कुल यूजर चार्ज (रू.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **सेवा** | **एस.सी.ए./ केन्द्र संचालक** | **सम्बन्धित विभाग** | **डी.ई.जी.एस./लोकवाणी सोसाईटी** | **सी.ई.जी** | |
| 1. | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 2. | राजस्व विभाग की खतौनी सेवा | 10 | 10 | 3 | 2 | 30 |

5. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पार्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये बिन्दु संख्या-4 की उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1 के अनुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा तथा अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज़ लागू नहीं होंगे एवं नागरिक अपने क्रिडेट/डेबिट/नेट बैंकिंग से सेवा हेतु उपयुक्त भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र ऑपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी उपरोक्त यूजर चार्ज़ेज लागू नही होंगे।

6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

7. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गई हैं।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

8. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र ऑपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग-इन करेगा तथा विभागीय सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

9. केन्द्रों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये हुये आवेदन पत्रों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार वांछित समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(दीपक त्रिवेदी)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-13/2015/1558/58-2015,तद्दिनॉक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
4. एस.आई.ओ, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
5. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त उप निदेशक उद्यान/जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उ0प्र0। द्वारा निदेशक।
8. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(विजय प्रताप सिंह)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in